Long term action plan for drought prone areas

7696. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government have any long term action plan for the drought prone areas in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) the amount of Central funds actually spent for the drought prone areas in the country during the last three years with State wise figures;

(d) whether the Centre has any monitoring machinery in this regard; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GAMANG): (a) and (b) Drought Prone Area programme (DPAP) and the Desert Development Programme (DDP) are Special Area Development Programmes which focus mainly on conservation, development and harvesting of land, water and other natural resources in the drought prone and desert areas with the ultimate objective of achieving ecological balance in the long-term. To supplement the funds under the two programmes, 50 per cent of the allocation under Intensive Jawahar Rozgar Yojana (IJRY) and Employment Assurance Scheme (EAS) have been earmarked for drought proofing through the watershed approach. It is proposed to cover all the identified villages in DPAP and DDP areas in the next ten years.

(c) The statewise details of allocation and expenditure incurred during the last three years i.e. 1992-93, 1993-94 and 1994-95 under DPAP and DDP are enclosed at Annexure (*See* Appendix 173, Annexure no 167).

(d) and (e) Both the programmes are monitored and reviewed regularly at the district/state/central level through the Monthly Progress Reports (MPR) showing financial progress on month to month basis and Quarterly Progress Report (QPR) showing financial and physical progress on quarter to quarter basis. The area officers attached to the programme states also provide feedback through their quarterly field visits to the States.

राजस्थान में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति

7697. श्री रामदास अग्रवाल : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले पहचान किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) वर्ष 1993–94 की तुलना में वर्ष 1994–95 में सरकार द्वारा उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ;

(ग) क्या सरकार ने गरीबी उन्मूलन की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करने हेतु राजस्थान के लिए निधियों का आबंटन बढ़ाने का निर्णय लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993–94, 1994–95 और 1995–96 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान कितनी निधियों का आबंटन किया गया है, इनका ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री गिरिधर गमंग) : (क) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे

के व्यक्तियों के राज्य-वार अनुमान लगाता है। ऐसे नवीनतम अनुमान 1987-88 में किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं जिसके अनुसार राजस्थान में 99.5 लाख व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे थे। परवर्ती वर्षों के तुलनीय अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी०), जवाहर रोजगार योजना (जे०आर०वाई०), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०), नेहरु रोजगार योजना (एन०आर०वाई०), गरीबों के लिए आधारभूत शहरी सेवाएं (यू० बी०एस०पी०) का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। इन स्कीमों ने विवरण "क" में दिए गए के अनुसार अनेक व्यक्तियों/परिवारों को लाभान्वित किया है (नीचे देखिए) उपर्युक्त के अलावा राज्य सरकारें अपना गांव--अपना काम, तीस जिला-तीस काम संयुक्त धनराशि और ग्रामीण संवृद्धि केन्द्र स्कीमें क्रियान्वित कर रही हैं।

(ग) और (घ) राजस्थान हेतु वर्ष 1993-94 और 1994-95 और 1995-96 के कुल योजना आबंटन क्रमशः 1700, 2450 और 3200 करोड़ रुपये हैं। राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न स्कीमों के लिए आबंटित धनराशि विवरण "ख" में दी गई है।

विवरण "क"

राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उपलब्धि

स्कीम	यूनिट	1993-94	1994-95
आई०आर०डी०पी०	लाभान्वित परिवारों की संख्या	1,16,567	94498*
जे०आर०वाई० पहला चरण	रोजगार के हजार श्रम दिवस	40313	30781*
जे०आर०वाई० दूसरा चरण	—वही—	4724	12765*
ई०ए०एस०	—वही—	5000	17951*
एन०आर०वाई०			
स्वरोजगार उद्यम	लाभग्राहियों की संख्या	11749	9621*
राज्यों की पदोन्नति के माध्यम से मजदूरी रोजगार	हजार श्रम दिवस	206	304
यू०बी०एस०पी०	हजार में लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या	140	172

*फरवरी 1995 तक

विवरण "ख"
राजस्थान को आबंटित धनराशि

(लाख रुपये)

	1993–94	1994–95	1995–96
आई०आर०डी०पी०	4430.00	4393.00	2194.00**
जे०आर०वाई०			
पहला चरण	12961.33	14266.86	13231.00**
दूसरा चरण	4568.75	4568.75	1819.00
बी०ए०डी०पी०			
सामान्य	1905.74*	2044.00*	2386.00
आई०जी०एन०पी०	5200.00	6000.00*	6000.00
एन०आर०वाई०	379.60	361.55	322.35
यू०बी०एस०पी०	73.95	96.00	71.40
ई०ए०एस०	राज्य वार आबंटन नहीं किए जाते । 1993–94 और 1994–95 के लिए जारी धनराशि क्रमश: 4575 और 12375 लाख रुपये है ।		

आई०जी०एन०पी० –इंदिरा गांधी नहर परियोजना

*जारी

**केन्द्रीय क्षेत्रक परिव्यय

रोजगार और बेरोजगार संबंधी सर्वेक्षण प्रतिवेदन

7698. श्री अजीत जोगी :
श्री मूलचन्द मीणा :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1995 पर आधारित रोजगार और बेरोजगार संबंधी सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अनुसंधान और विश्लेषण कार्य को तेज करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के सर्वेक्षणों के संबंध में श्रम ब्यूरो के परामर्श ऐसी रिपोर्ट जारी करने की कोई सीमा निर्धारित करने का है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?